भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1860
मंगलवार, 11 मार्च, 2025/20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तरार्थ

सहारा समूह सहित सहकारी समितियों में निवेशकों का पैसा वापस किया जाना

†1860. डॉ. आनन्द कुमार गोंड
श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकरः
श्री अरविंद गणपत सावंतः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सहारा इंडिया के खाताधारकों की संख्या कितनी है तथा इन खातों में कुल कितनी राशि जमा है;
(ख) क्या लाखों निवेशकों ने सहारा समूह सहित सहकारी समितियों के विभिन्न समूहों में बड़े पैमाने पर किए गए निवेश के कारण अपनी गाढ़ी कमाई खो दी है;
(ग) ऐसे निवेशों, विशेषकर सहारा समूह में, निवेशकों को अब तक हुई कुल अनुमानित हानि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने पीड़ितों को उक्त निवेश की वापसी के लिए कोई कदम उठाए हैं या कोई कार्य योजना का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पूरी राशि वापस करने की समय-सीमा क्या है;
(ङ) कितने निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिल चुकी है और वह राशि कितनी है;
(च) क्या निर्धन जमाकर्ताओं के उक्त निवेश की वापसी के लिए कोई पोर्टल बनाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) उपभोक्ताओं द्वारा पोर्टल पर लॉग-इन न कर पाने के क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा उक्त पोर्टल को बेहतर बनाने तथा लोगों का पैसा वापस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (ग): सहारा समूह की 04 सहकारी समितियों द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार निवेशकों की कुल संख्या 5.42 लाख है और दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कुल जमाराशि 1,13,504 करोड़ रुपये है । जमाराशियों का भुगतान न करने के संबंध में भारी मात्रा में शिकायतें हैं ।
(घ) से (छ): सहकारिता मंत्रालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं.191/2022 (पिनाक पाणी मोहंती बनाम् भारत संघ और अन्य) में दायर अंतर्वर्ती आवेदन में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 को अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया कि:

"(i) Out of the total amount of Rs. 24,979.67 Crores lying in the "Sahara-SEBI Refund Account", Rs. 5000 Crores be transferred to the Central Registrar of

Cooperative Societies, who, in turn, shall disburse the same against the legitimate dues of the depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies, which shall be paid to the genuine depositors in the most transparent manner and on proper identification and on submitting proof of their deposits and proof of their claims and to be deposited in their respective bank accounts directly.

(ii) The disbursement shall be supervised and monitored by Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court with the able assistance of Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate, who is appointed as Amicus Curiae to assist Justice R. Subhash Reddy as well as the Central Registrar of Cooperative Societies in disbursing the amount to the genuine depositors of the Sahara Group of Cooperative Societies. The manner and modalities for making the payment is to be worked out by the Central Registrar of Cooperative Societies in consultation with Justice R. Subhash Reddy, Former Judge of this Court and Shri Gaurav Agarwal, learned Advocate."

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुपालन में सहारा समूह की चार बहुराज्य सहकारी समितियों, अर्थात् सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., लखनऊ; सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., भोपाल; हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि., हैदराबाद के प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके वैध धनराशि के रिफंड दावे प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18.07.2023 को "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" https://mocrefund.crcs.gov.in का शुभारंभ किया गया है । संवितरण की यह संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल और कागज़रहित है जिसे न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पर्यवेक्षण और निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल, न्यायमित्र की सहायता से किया जा रहा है ।

इस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को उचित पहचान पर और पहचान एवं जमाराशि के साक्ष्य प्रस्तुत करने के उपरांत पारदर्शी रीति से प्रोसेस किया जा रहा है । भुगतान की राशि को प्रामाणिक जमाकर्ताओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा किया जा रहा है । वर्तमान में सहारा समूह के प्रत्येक प्रामाणिक जमाकर्ताओं को उनके सत्यापित दावों के लिए उनके आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से मात्र 50,000/- रुपए तक के भुगतान का संवितरण किया जा रहा है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने सहारा के निवेशकों को रिफंड का संवितरण करने के लिए दिनांक 31.12.2025 तक समय-सीमा में विस्तार प्रदान किया है ।

इसके अलावा, पोर्टल पर किसी जमाकर्ता के आवेदन में प्राप्त किसी कमी की दशा में उन्हें इन कमियों से अवगत कराया जा रहा है और उन्हें दिनांक 15.11.2023 को लॉन्च हो चुकी री-सबमिशन पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन पुन: प्रस्तुत करने की सूचना दी जा रही है ।

दिनांक 28.02.2025 तक सहारा समूह की सहकारी समितियों के 12,97,111 जमाकर्ताओं को 2,314.20 करोड़ रुपए की धनरशि जारी की जा चुकी है ।

*****